प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति नंबर 58/ 2020)

तत्काल जारी किए जाने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) अपने पत्र संख्या 1000/ 01/ 2020– डबल्यूआर दिनांक 15 जनवरी 2020 के माध्यम से अन्य बातों के साथ– साथ यह कि दिनांक 24 सितंबर 2015 को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम के बंटवारे के लिए मौजूदा दिशा–निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारियों द्वारा शेयरिंग के उपरांत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) दर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 05 प्रतिशत बढ़ जाती है। दूरसंचार विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उसे यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि 05 प्रतिशत पोस्ट शेयरिंग की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों द्वारा धारित पूरे स्पेक्ट्रम पर क्योंकि साझा करने की अनुमति एक विशेष बैंड में ही दी गई होती है। इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से अनुरोध किया है कि निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे कि (1) क्या स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामलों में एसयूसी दर में वृद्धिशील 0.5 प्रतिशत केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू किया जाना चाहिए जिसमें साझाकरण हो रहा है; या एसयूसी की समग्र भारित औसत दर, जो सभी बैंडों से निकाली गई हो और (2) भादूविप्रा अधिनियम, 1997 यथा संशोधित के तहत इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली कोई अन्य सिफारिश।

3. इस संबंध में, स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) लागू करने की पद्धति पर एक परामर्श पत्र 22 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था जिसमें पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की गई थी और हितधारकों से इन्पुट मांगे गए थे। इस पर नौ हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त हुईं। दिनांक 09 जुलाई, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इन्पुट के आधार पर और अपने विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा स्पेक्ट्रम–शेयरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, एसयूसी दर पर 05 प्रतिशत की वृद्धि विशिष्ट बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू होनी चाहिए जिसमें शेयरिंग की जा रही है, न कि लाइसेंसधारक के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग (सभी बैंड) पर।

(2) टीएसपी को आवश्यकता और वाणिज्यिक आधार पर अपने स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करने के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए, संबद्ध टीएसपी द्वारा मौजूदा स्पेक्ट्रम साझाकरण व्यवस्था को समाप्त करने की सूचना देने के लिए उपयुक्त निकास खंड को स्पेक्ट्रम साझाकरण दिशा–निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए।

5. सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाला गया है। स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, यदि कोई हो तो, श्री एस0 टी0 अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम एंड लाइसेंसिंग), भादूविप्रा टेलीफोन नंबर 91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा advmn@trai.gov.in पर ई–मेल किया जा सकता है।

ह0/–
(एस.आर. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>